

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सुजानगढ़

पीठासीन अधिकारी— रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

वाद पत्र— अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 एलआर एक्ट

मु.नं.

59/ 2019

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए										
30.07.2019	<p>यह वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत वादी मुकेश पुत्र नानुराम जाति मेघवाल निवासी जैतासर ने वाद पत्र केम्प कोर्ट जैतासर में प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे।</p> <p>प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम जैतासर की जमाबन्दी संवत् 2076-79 खाता संख्या 135 में खसरा नं. 721, 827,852,864 में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में विकास पुत्र नानुराम जाति मेघवाल निवासी जैतासर दर्ज है। जो गलत है। प्रार्थी का नाम आधार कार्ड परिचय पत्र व अन्य दस्तावेजों व सरपंच ग्राम पंचायत जैतासर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार में प्रार्थी का नाम मुकेश पुत्र नानुराम जाति मेघवाल निवासी जैतासर है। प्रार्थी का नाम मुकेश पुत्र नानुराम किया जाने के आदेश फरमावे।</p> <p>वाद पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार सुजानगढ़ से रिपोर्ट ली गई पटवार हल्का जैतासर भु अभिलेख नि. छापर व तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जमाबंदी संवत् 2076-79 में प्रार्थी का नाम विकास पुत्र नानुराम है जाति मेघवाल निवासी जैतासर दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड परिचय पत्र रिपोर्ट सरपंच अनुसार प्रार्थी का सही नाम मुकेश पुत्र नानुराम जाति मेघवाल निवासी जैतासर है। जो शुद्ध किया जाना उचित है। दोनो एक ही नाम है। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में शंकरलाल, गिरधारी लाल मेघवाल व अपनी माता छोटेडुडी के बयान कराये गये जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मजमेआम में भी नाम दुरुस्ती की अनुशंषा की</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व दस्तावेजात एवं भू-अभिलेख निरीक्षक छापर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सुजानगढ़ की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम जैतासर तहसील सुजानगढ़ व जिला चूरु की जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 में नया खाता संख्या 135 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-</p> <table border="1" data-bbox="395 1444 1305 1870"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th> <th>ग्राम</th> <th>खाता संख्या</th> <th>वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)</th> <th>आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>जैतासर</td> <td>135</td> <td>विकास पुत्र नानुराम जाति मेघवाल हिस्सा 1/50 निवासी जैतासर खातेदार शेष खाता बदस्तुर</td> <td>मुकेश पुत्र नानुराम जाति मेघवाल हिस्सा 1/50 निवासी जैतासर खातेदार शेष खाता बदस्तुर</td> </tr> </tbody> </table> <p>निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 30.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर केम्प कोर्ट सालासर में सुनाया गया।</p>	क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)	1	जैतासर	135	विकास पुत्र नानुराम जाति मेघवाल हिस्सा 1/50 निवासी जैतासर खातेदार शेष खाता बदस्तुर	मुकेश पुत्र नानुराम जाति मेघवाल हिस्सा 1/50 निवासी जैतासर खातेदार शेष खाता बदस्तुर	
क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)								
1	जैतासर	135	विकास पुत्र नानुराम जाति मेघवाल हिस्सा 1/50 निवासी जैतासर खातेदार शेष खाता बदस्तुर	मुकेश पुत्र नानुराम जाति मेघवाल हिस्सा 1/50 निवासी जैतासर खातेदार शेष खाता बदस्तुर								

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सुजानगढ़

30/7/19